

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय सतर्कता मॉनटरिंग समिति का गठन

चर्चा में क्यों?

3 मार्च, 2022 को राज्य शासन ने अनुसूचति जात एवं जनजात (अत्याचार निवारण) नयिम के तहत 21 अगस्त, 2019 को गठित राज्यस्तरीय सतर्कता मॉनटरिंग समिति को तत्कालपरभाव से नरिसुत कर मुख्यमंत्री शविराज सहि चौहान की अध्यक्षता में नई समिति का गठन कथि है ।

परमुख बढि

- मुख्यमंत्री शविराज सहि चौहान की अध्यक्षता में गठित नई समिति में मंत्री, सांसद, वधियक और संबंढति अधकियों को सदस्य बनाया गया है । परमुख सचवि अनुसूचति जात किल्याण को संयोजक सदस्य सचवि बनाया गया है ।
- अनुसूचति जात किल्याण वभिग द्वारा जारी समितिकी अधसूचना के अनुसार समिति में गृह, जेल, संसदीय कार्य, वधि और वधियी कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मशिरा, अनुसूचति जात किल्याण एवं जनजातीय कार्य मंत्री मीना सहि तथा 3 सांसद- गजेंद्र सहि पटेल, हमाद्री सहि तथा महेन्द्र सहि सोलंकी को सदस्य नामांकति कथि गया है ।
- इसी प्रकार 9 वधियकों- कुंवर सहि टेकाम, सुलोचना रावत, राम दांगोरे, मनीषा सहि, हरशंकर खटीक, रघुनाथ मालवीय, डॉ. योगेश पंडाग्रे, गोपीलाल जाटव और राजेश परजापत तथा मुख्य सचवि मध्य प्रदेश शासन, अपर मुख्य सचवि/परमुख सचवि गृह, पुलसि महानदिशक और नदिशक/उप नदिशक राष्ट्रीय अनुसूचति जात/अनुसूचति जनजात आयोग को सदस्य नामांकति कथि गया है ।